



पुर्नविलोकन याचिका क्र. /2014

प्रस्तुती दिनांक - 5-6-14

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश महोदय, इन्दौर.

रिज्द्र 2037-PBR/14

- 1- सत्यनारायण पिता श्री पन्नालालजी पाटीदार  
निवासी - ग्राम तिल्लोर तहसील व जिला इन्दौर
- 2- पोपसिह पिता श्री मानसिंह  
निवासी - ग्राम मुण्डलादोस्तदार, तहसील व जिला इन्दौर  
— आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
तहसीलदार, इन्दौर
3. गंगाराम पिता मांगीलाल  
मृतक तर्फे वारिस :-  
श्रीमती लताबाई पति गंगाराम  
निवासी - ग्राम मुण्डलादोसदार,  
तहसील व जिला इन्दौर
4. दीपक पिता नंदराम सूर्यवंशी  
पता - 43-बी, वीणा नगर, इन्दौर  
—अनावेदकगण

बी. मुहम्मद सिद्दीक मुन्शि  
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 06/06/2014  
को प्रस्तुत

352/05.06-2014

अनावेदक

पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-4132  
- पीबीआर/2013 में दिनांक 27.03.2014 को पारित आदेश  
के पुर्नविलोकन हेतू सदर याचिका आवेदक की ओर से  
निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

- 2 पर

अनावेदक


डा. राजेश कायस्थ  
डा.स 1  
17-6-14  
17-6-14  
19-6-14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2037-पीबीआर/14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलतः कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>